32

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 2583–दो/2014 – विरूद्ध आदेश दिनांक 30–12–2013 – पारित द्वारा – आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल – प्रकरण 68/2010–11 निगरानी

अजबसिंह बल्द बाबूलाल
ग्राम हथलेवा तहसील
बुधनी जिला सीहोर ---आवेदक

विरूद्ध

1– रमेश कुमार 2– प्रताप सिंह 3– भागीरथ
4– रामगोपाल पुत्रगण स्व. शॅकरलाल
ग्राम हथलेवा तहसील बुधनी जिला सीहोर
5– कोमलवाई पत्नि मेहरवान सिंह ग्राम फेफरताल
तहसील व जिला होसंगावाद
6– फूलवती पत्नि रबिशंकर 7– गीता पत्नि दिनेशकुमार
8– गीता पत्नि दिनेशकुमार सभी निवासी फोजदार पैट्रोल
पंप के सामने रसूल्या तहसील व जिला होसंगावाद
9– मिट्ठूलाल पुत्र हरीराम 10– मोहनलाल पुत्र हीरालाल
ग्राम हथलेवा तहसील बुधनी जिला सीहोर

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एन.एस.ठाकुर)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री राधेश्याम अहिरवार)

आ दे श

(आज दिनांक 6 – 03 –2018 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण 68/2010–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30–12–13 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि शॅकरलाल पुत्र हीरालाल ग्राम हथलेवा ने नायव तहसीलदार वृत्त शाहगॅज के समक्ष आवेदन प्रस्तुत बताया कि वह ग्राम हथलेवा की भूमि खसरा नंबर 28, 31 रकबा 3.56 एकड़ एंव खसरा नंबर 50 रकबा 2.90 एकड़, 54-55 , 146/108, 106/2, 107/2, 108/2 रकबा 5.60 एकड़ कुल रकबा 12.06 का भूमिस्वामी होकर राजस्व अभिलेख में नाम अंकित है जिसके सीमांकन कराने पर दीगर कास्तकारों का अवैधानिक कब्जा पाया गया है इसलिये भूमि का कब्जा दिलाया जावे। नायव तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 1 अ 70/06-07 पॅजीबद्ध किया तथा जॉच एंव पक्षकारों की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 28-2-11 पारित किया तथा प्रस्तुत आपत्ति खारिज करते हुये व्यवहार प्रकिया 6 नियम 12 के अंतर्गत प्रस्तुत रकबा सॅशोधन करना स्वीकार किया एंव आवेदक की साक्ष्य तथा अनावेदक के जवाव हेतु आगामी तिथि 10-3-11 नियत की । नायव तहसीलदार के इस अंतरिम आदेश के विरूद्व अपर कलेक्टर सीहोर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर सीहोर ने प्रकरण क्रमांक 60/10-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27-7-11 से निगरानी स्वीकार कर नायव तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 28-2-11 को निरस्त कर दिया तथा प्रकरण उन्हीं नंबरों के कब्जे की कार्यवाही हेतु वापिस किया जिन खसरा नंबरों का सीमांकन हुआ है। अपर कलेक्टर सीहोर के आदेश दिनांक 27-7-11 के विरूद्व आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल ने प्रकरण 68/2010-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-12-13 से निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार कर अपर कलेक्टर सीहोर का आदेश निरस्त कर दिया तथा प्रकरण नायव तहसीलदार की ओर उभय पक्षों की साक्ष्य अंकित कर प्रकरण का निराकरण गुणदोष के आधार पर करने हेतु वापिस किया। आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों के परिप्रेक्ष्य में उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों ने लेखी बहस प्रस्तुत की है। लेखी बहस के तथ्यों, निगरानी मेमो के तथ्यों के साथ अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस के तथ्यों, निगरानी मेमो के तथ्यों , अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर कलेक्टर के समक्ष सुनवाई के दौरान शॅकरलाल की मृत्यु हो चुकी थी, अपर कलेक्टर ने उसके विधिक वारिसान को सूचना देने के लिये प्रकरण नियत किया, परन्तु आगामी पेशी तक मृतक शंकरलाल के वारिसान को सूचना जारी किये बिना प्रकरण आदेश हेतु नियत कर दिया गया। मूल विवाद रकबे के सॅशोधन का है और रकबा सॅशोधित होने से बेजा कब्जा हटाने वावत् प्रस्तुत आवेदन व उल्लेखित क्षेत्रफल पर अंतर नहीं आता है जिसके कारण रकबा सॅशोधन हेतु दिये गये आवेदन को माने जाने में नायव तहसीलदार ने त्रृटि नहीं की है क्योंकि राजस्व निरीक्षक ने मौके पर सीमांकन के दौरान चिन्हित किये गये सर्वे नंबरों के अनुसार रकबा सॅशोधन का आवेदन है जिनका कि खसरे में बटा नंबर अंकित नहीं है जिसके कारण रकबे के मामले में भूमिस्वामी कृषक जानकार न होने से सॅशोधन पर प्रकरण की स्थिति में परिवर्तन नहीं है इस सम्बन्ध में आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा प्रकरण 68/2010-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-12-13 के पद 5 में विस्तृत विवेचना उपरांत निकाले गये निष्कर्ष से असहमत होने का कोई कारण नहीं है। प्रकरण को व्यर्थ लम्बित रखने के उद्देश्य से विचाराधीन निगरानी की जाना परिलक्षित है क्योंकि नायव तहसीलदार के समक्ष प्रकरण वापिस होने पर दोनों पक्षों को पक्ष रखने , लेखी, मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्राप्त है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा प्रकरण 68/2010-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-12-13 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर